


29.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभायपलकारान
उपस्थित। वकील अप्राप्ती को 200/- रु कंस्ट्र
पर अंतिम अवसर दिशे जाने के वावजूद
जवाब पेश नहीं किया। जवाब प्रा. फा बंद
किया जाता है। बहस शुरती गयी। पत्रावली
का जवाबलोकन किया गया। वादग्रस्त
आराजी प्राप्ती की जवाबदारी भूमि है। प्रथम
दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की
दृष्टि से प्राप्ती के घट में है। अतः अप्राप्ती
से. 01, 02. व 03 को पालंद किया जाता है
कि मौजा गोगदा में स्थित प्राप्ती की
आराजी खता से. 144, ख. से. 1799/1651
रकबा 0.9708 ईंच. भूमि में आतिक्रमण
निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य
किसी व्यक्ति से करावें। प्राप्ती को काल
में रकबाट पैदा न करावें। वादग्रस्त
भूमि विक्रय जघरा बन्धीस न करें।
मूल वाद के निस्तारण तक मौके व
रिकॉर्ड की प्रचारिष्यति बनाए रखें।
पत्रावली फौजल शुमार होकर संलग्न
मूल वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीयतवाडा